Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025
fb: https://www.facebook.com/PopularFrontofIndiaOfficial/ website: www.popularfrontindia.org
email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

8 सितम्बर 2018
नई दिल्ली

समलैंगिकता को वैधता देना समाज को नैतिक व सांस्कृतिक तबाही की राह पर डाल देगाः ई. अबूबकर

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने अपने एक बयान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता तथा समलैंगिक विवाह को वैधता दिये जाने के संदर्भ में कहा है कि यह समाज को बहुत तेज़ी से नैतिक व सांस्कृतिक तबाही की राह पर ले जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक क़रार देकर, दुर्भाग्य से कोर्ट ने मानव जाति की शुरूआत से क़ायम प्राकृतिक क़ानून के खिलाफ फैसला दिया है। सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों की सभी प्रजातियों में पुरूष और स्त्री होते हैं और सभी जानदारों में स्वभाविक रूप से पुरूष और स्त्री के बीच होने वाला यौन संबंध आम बात होती है, जबकि समलैंगिक यौन संबंध को बिगाड़ माना जाता है। अगले और पिछले सभी धर्मों और संस्कृतियों में शादी को ही एकमात्र सही तरीका समझा गया है, जो संतान के स्वस्थ पालन और पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति के वजूद को क़ायम रखने की ज़मानत देता है। अबूबकर ने कहा कि जिस समाज में समलैंगिक विवाह को क़ानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है, वहां पारिवारिक जीवन की तबाही और अराजकता व अनैतिकता इसका अनिवार्य नतीजा होते हैं।

ई. अबूबकर ने कहा कि जो लोग समलैंगिक विवाह को वैधता देने को व्यक्ति की आज़ादी की हिफाज़त में एक साहसिक क़दम क़रार देते हैं वह दरअसल इस हक़ीक़त को अनदेखा कर रहे हैं कि हर आज़ादी के साथ कुछ मुनासिब पाबंदियां भी होती हैं। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के तहत आने वाली हर आज़ादी के साथ सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के फायदे में कुछ मुनासिब पाबंदियां भी लगाता है। बड़े दुख की बात है कि जब लोगों की अपनी मर्ज़ी से जो चाहे खाने और जो चाहे बोलने की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकार को सरेआम छीना और खत्म किया जाता है, उस समय न्यायपालिका का मुनासिब हस्तक्षेप हमें देखने को नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा कि एक बार इस अप्राकृतिक अमल को क़ानूनी सुरक्षा मिल गई, तो महिलाओं का जीवन और ज़्यादा नरक बन जाएगा।

ई. अबूबकर ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर दौबारा ग़ौर करके समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी में रखने के पूर्व क़ानून को फिर से बहाल करने का अनुरोध किया।

डॉ० मुहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली